परिशिष्ट

नगर पालिका रींगस जिला–सीकर

पत्रावली संख्या 136 दिनांक 11-12-2012 पट्टा संख्या 237 दिनांक 14-12-12

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

यह विलेख आज वर्ष 2012 के माह Dec. के 14 वे दिन नगर पालिका रींगस (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री डी० पी० एस० शिक्षण संस्थान रींगस जरिये सचिव [illegible] पुत्र श्री [illegible] जाति ____ व्यवसाय ____ निवासी रींगस वार्ड न 20 (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकलें, उनके उत्तराधिकारी, निर्बाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होगें) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम 153112=00 तथा विकास शुल्क 128614=00 की कुल 281726/- अंकेही दो लाख इक्यासी हजार सात सौ छब्बीस रूपये रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा ~~रसीद नम्बर~~/चालान नम्बर 53 दिनांक 14-12-12 द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेगें, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिन्हें इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना [illegible] कॉलोनी ([illegible]) राजस्व ग्राम रींगस के खसरा नम्बर 217 क्षेत्रफल 3062.24 वर्गगज में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इसके संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीद्दार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अर्थात्:–

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यलय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय–समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष के अप्रैल प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप–नियम (1) के अन्र्तगत निर्धारित किये गये निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर [illegible] रूपये 195984/- अंकेही एक लाख पिच्यानवे हजार नौ सौ चौरासी मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहे तो, एक बारीय नगरीय (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है को सम्मिलित करते हुए पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार नियम किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि – पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगें।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल संस्थागत प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जावेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम–26 के अन्तर्गत बढा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप–पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्ते और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप–पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होगें मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप–पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होगें।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, रींगस

उप पंजीयक
श्रीमाधोपुर (सीकर)

7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान–विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेगें। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी, परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभावित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/ब्राह्म विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियक, 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लघंन में कपटपूर्ण दस्तावेज के अधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्रगाप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेगें, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसान के लिए दायी नहीं होगा।
10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी. एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

परिशिष्ट

कस्बे का नाम:– रींगस
राजस्व ग्राम :– रींगस
खसरा नम्बर :– 717
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/मीटर
3062.24 वर्गगज

भूमि का नाप व चतु सीमा का विवरण
पूर्व 96' 6" फीट
पश्चिम 103' 1" फीट
उत्तर 281' 4" फीट
दक्षिण 322' 6" फीट
क्षेत्रफल 3062.24 वर्गगज [illegible]

मानचित्र संलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

नगरीय निकास की ओर से

आज सन् .... के माह .... के .... वें दिन
श्री ....
के निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये –

उप पंजीयक श्रीमाधोपुर (सीकर)

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका रींगस

अध्यक्ष
नगर पालिका रींगस

साक्षी :–
1. नाम राधेश्याम
पुत्र श्री रामेश्वर माली
व्यवसाय अध्यापन
निवास स्थान वार्ड नं. 20, रींगस

साक्षी

2. नाम रामअवतार शर्मा
पुत्र श्री मुरलीधर शर्मा
व्यवसाय नौकरी
निवास स्थान वार्ड नं. 8, रींगस

साक्षी

आज सन् 2012 के माह [illegible] के 14 वें दिन
श्री [illegible]
के निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये –

(लीजधारक – द्वितीय पक्ष)

साक्षी :–
1. नाम बाबूलाल [illegible]
पुत्र [illegible]
व्यवसाय [illegible]
निवास स्थान [illegible]

साक्षी

2. नाम सुशील [illegible]
पुत्र श्री [illegible]
व्यवसाय [illegible]
निवास स्थान वार्ड नं. 12, रींगस

सुशील [illegible]

साक्षी

SITE PLAN AT - WARD NO. 20, KH.NO. 717, RINGAS
APPLICANT - B.P.S SHIKSHAN SANSTHAN
SECETRY - SH. ANIL KUMAR BATAR S/O SH. MOT SINGH
R/O - SIKAR

DEED SHOWN THUS
TOTAL AREA -3062.24SQ. YDS.

N
SCALE 1'64'0"

पत्रावली नं 136 दि 11-12-2012
पट्टा नं 287 दि 14-12-2012 के साथ संलग्न

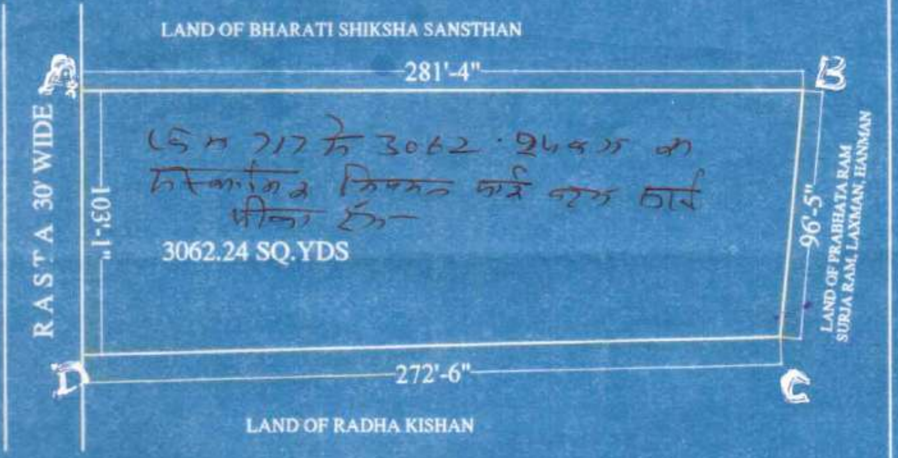

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, रींगस

अध्यक्ष
नगर पालिका, रींगस

A से B 281-4"
D से C 272-6"
A से D 103-1"
B से C 96-5"

कुल 3062.24 वर्ग गज

परिशिष्ट

नगर पालिका रींगस जिला–सीकर

पत्रावली संख्या 1022 दिनांक 15/02/2013 पट्टा संख्या 574 दिनांक 8.5.2013

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन)
नियम, 2012 के नियम 22 के अन्तर्गत भूमि का पट्टा विलेख

प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012

यह विलेख आज वर्ष 2013 के माह मई के 08 वे दिन नगर पालिका रींगस (जिन्हें इसके बाद नगर निकाय कहकर संबोधित किया गया है) प्रथम पक्ष एवं श्री बी॰पी॰एस॰ शिक्षण संस्थान, रींगस जरिये सचिव अनिल बारड़ पुत्र श्री मोटसिंह बारड़ जाति .... व्यवसाय शिक्षण कार्य निवासी वार्ड नं. 20, रींगस (जिनको इसके बाद लीजधारक संबोधित किया गया है) द्वितीय पक्ष तथा इस इबारत में जहां कहीं प्रसंग से वैसा अर्थ निकलें, उनके उत्तराधि. .री, निर्वाहक, प्रबन्धक, प्रतिनिधि और मुन्तकिल अलैह भी सम्मिलित होगें) के मध्य निष्पादित हुआ है।

यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि प्रीमियम 104794=00 तथा विकास शुल्क 130993=00 की कुल 235787=00 अंकेही दो लाख पैंतीस हजार सात सौ सत्यासी रूपये रकम जो लीजधारक (पट्टाधारक) के द्वारा रसीद नम्बर/चालान नम्बर 391 दिनांक 8/5/13 द्वारा अदा कर दी गई है और जिसकी रसीद नगर निकाय के द्वारा स्वीकार कर ली गई है, और इसमें उल्लेखित शर्तों और करारों जो लीजधारक द्वारा निष्पादित तथा पालन किये जायेगें, के एवज में नगर निकाय इनके द्वारा लीजधारक को जमीन का वह तमाम भूखण्ड (जिन्हें इसके बाद उक्त भूखण्ड कहकर संबोधित किया गया है) प्रदान और लीज करती है जो योजना स्टेशन कॉलोनी वार्ड नं.20 राजस्व ग्राम रींगस के खसरा नम्बर 717 क्षेत्रफल 2619.86 व.गा. में स्थित है और जो अपनी सीमा और क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इसके संलग्न नक्शे में लाल रंग में दिखाया गया है, और जिसे पूर्ण स्वामित्व संबंधी स्वत्वों सहित किन्तु निम्नलिखित तमाम प्रत्येक अपवादों, संरक्षणों, बंधनों, शर्तों और करारों के अधीन खरीददार अपने उपयोग, उपभोग और इस्तेमाल के लिए अपने अधिकार में रखेगा अर्थात्:–

1. लीजधारक नगर निकाय के कार्यालय में या ऐसे स्थान पर जिसे नगर निकाय समय–समय पर इस हेतु नियत कर दें, प्रत्येक वर्ष के अप्रेल प्रथम दिन उक्त भूखण्ड के संबंध में उक्त नियमों के नियम 20 के उप–नियम (1) के अन्तर्गत निर्धारित किये गये निर्धारण (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) के तौर पर रूपये 83835=00 अंकेही (त्यासी हजार आठ सौ पैंतीस रुपये) (जिसे चालान 391 से 838.35) मात्र पेशगी अदा करेगा, परन्तु लीजधारक, यदि चाहें तो, एक बारीय नगरीय (शहरी जमाबन्दी या भूमि का किराया) की राशि जमा करा सकेगा, जो उस वर्ष, जिसमें राशि जमा करायी जाती है को सम्मिलित करते हुए पूर्ण वार्षिक नगरीय निर्धारण लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के फलस्वरूप लीजधारक उक्त भूखण्ड पर नगरीय निर्धारण की राशि के संदाय के दायित्व से छूट प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
2. एक बार नियम किया गया नगरीय निर्धारण या भूमि का किराया प्रत्येक 15 वर्ष के पश्चात् और विक्रय या दान या अन्यथा द्वारा ऐसे अन्तरण पर भी पुनरीक्षण का दायी होगा और ऐसी वृद्धि प्रत्येक अवसर पर ऐसे पुनरीक्षण या यथास्थिति, अन्तरण के समय नगरीय निर्धारण या भूमि के किराये का 25 प्रतिशत होगी।
3. पट्टे की अवधि – पट्टाधृति अधिकार 99 वर्ष के लिए होगें।
4. उक्त भूखण्ड का उपयोग केवल संस्थानिक प्रयोजन जिसके लिए नगर निकाय द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत अनुमति दी गयी है के लिए किया जायेगा और इसी प्रयोजन के उपयोग हेतु इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण किया जावेगा।
5. इस पट्टा विलेख की तारीख से 7 वर्ष, या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर जो नियम–26 के अन्तर्गत बढा दी जावें, लीजधारक के द्वारा इस भूखण्ड पर भवन का निर्माण कराया जायेगा।
6. लीजधारक उक्त भूखण्ड को आगे और अन्तरित या उप–पट्टे पर दे सकेगा। उक्त नियमों में अन्तर्विष्ट निबंधन और शर्तें और अन्य उपबंध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, अन्तरिती या उप–पट्टेदार पर इस प्रकार लागू होगें मानो प्रश्नगत उक्त भूखण्ड नगर निकाय द्वारा दिया गया है या अन्तरित किया गया है। लीजधारक द्वारा उप–पट्टे की कालावधि स्वयं द्वारा अवधारित की जायेगी किन्तु किसी भी दशा में मूल पट्टे की कालावधि से अधिक नहीं होगी। उप–पट्टे उक्त नियमों में विहित समस्त अन्य निबंधनों और शर्तों या किन्हीं पृथक आदेशों द्वारा, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर इस निमित विनिर्दिष्ट मामलों में जारी किये जायें, शासित होगें।

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, रींगस

उप पंजीयक
श्रीमाधोपुर (सीकर)

7. उक्त भूखण्ड के अन्तरण के मामले में, अन्तरिती के पक्ष में नाम में अन्तरण के लिए नगर निकाय को आवेदन के साथ रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख, दान–विलेख या वसीयत या अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये जायेगें। प्रत्येक अन्तरण के लिए आवेदन के साथ दस रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से अन्तरण फीस निक्षिप्त की जायेगी, परन्तु लीजधारक की मृत्यु के मामलों में इस नियम के अधीन कोई फीस प्रभावित नहीं की जायेगी।
8. उक्त नियमों के अधीन किसी व्यक्ति के प्रति परादेय प्रीमियम या नगरीय निर्धारण या ब्याज, आन्तरिक/ब्राह्य विकास प्रभारों का कोई बकाया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियक, 1956 के अधीन भू–राजस्व की बकाया के रूप में लीजधारक से वसूलीय होगा।
9. यदि आवंटन या पट्टा विलेख के निष्पादन के पश्चात् यह पाया जाता है कि आवंटन या पट्टा विलेख विधि की दुरभिसंधि या उसके उल्लघंन में कपटपूर्ण दस्तावेज के अधार पर दुर्व्यपदेशन द्वारा अभिप्रगाप्त किया गया है या आवंटन या पट्टा विलेख के निबंधनों और शर्तों का अतिक्रमण किया गया है तो नगर निकाय उक्त भूखण्ड पर उसके किसी सन्निर्माण सहित उसे प्रतिसंहृत करेगा जो सभी प्रभारों से रहित नगर निकाय में निहित समझे जायेगें, और नगर निकाय किसी भी व्यक्ति को कारित किसी भी प्रकार की नुकसान के लिए दायी नहीं होगा।
10. इस पट्टा विलेख के आधार पर उक्त भूखण्ड को सरकार/जीवन बीमा निगम/शिड्यूल्ड बैंक/सरकार ऋणदात्री संस्था/एच.डी. एफ.सी. अथवा नेशनल बैंक द्वारा अधिकृत ऋणदात्री संस्थाओं के पास ऋण के लिए बंधक रखा जा सकेगा।

परिशिष्ट

कस्बे का नामः– रींगस
राजस्व ग्राम :– रींगस
खसरा नम्बर :– 717
विस्तृत नाप सहित क्षेत्रफल वर्गगज/मीटर
2619.86 व.गा. संलग्नक

भूमि का नाप व चतु सीमा का विवरण
पूर्व 91'-11" फीट
पश्चिम 84'-5" फीट
उत्तर 272'-6" फीट
दक्षिण 263'-10" फीट
क्षेत्रफल 2619.86 वर्गगज

मानचित्र संलग्न है।

इसके साक्षी के रूप में इसके फरीकेन ने इसके बाद प्रत्येक दशा में निर्देशित स्थानों और तारीखों पर अपने हस्ताक्षर कर दिये है।

नगरीय निकास की ओर से

आज सन् 2013 के माह मई के 08 वें दिन
श्री दयाचन्द चौधरी ई० ओ० न.पा. रींगस
के निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये –

अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका रींगस

अध्यक्ष
नगर पालिका रींगस

साक्षी :–
1. नाम राधाकिशन
पुत्र परसाराम
व्यवसाय अध्यापन
निवास स्थान वार्ड नं. 20, रींगस

साक्षी

2. नाम बाबूलाल देवन्दा
पुत्र श्री मोरडा मल देवन्दा
व्यवसाय
निवास स्थान वार्ड नं. 5, रींगस

साक्षी

आज सन् 2013 के माह मई के 8 वें दिन
श्री अनिलकुमार सचिव
के निम्न की उपस्थिति में (स्थान) में हस्ताक्षर किये –

(लीजधारक – द्वितीय पक्ष)

साक्षी :–
1. नाम हरफूलसिंह
पुत्र श्री रामचन्द्रसिंह
व्यवसाय अध्यापन
निवास स्थान वार्ड नं. 20, रींगस

साक्षी

2. नाम श्रवण कुमार
पुत्र श्री नन्दाराम
व्यवसाय नौकरी (ड्राईवर)
निवास स्थान ओमनगर

साक्षी

उप पंजीयक
श्रीमाधोपुर (सीकर)

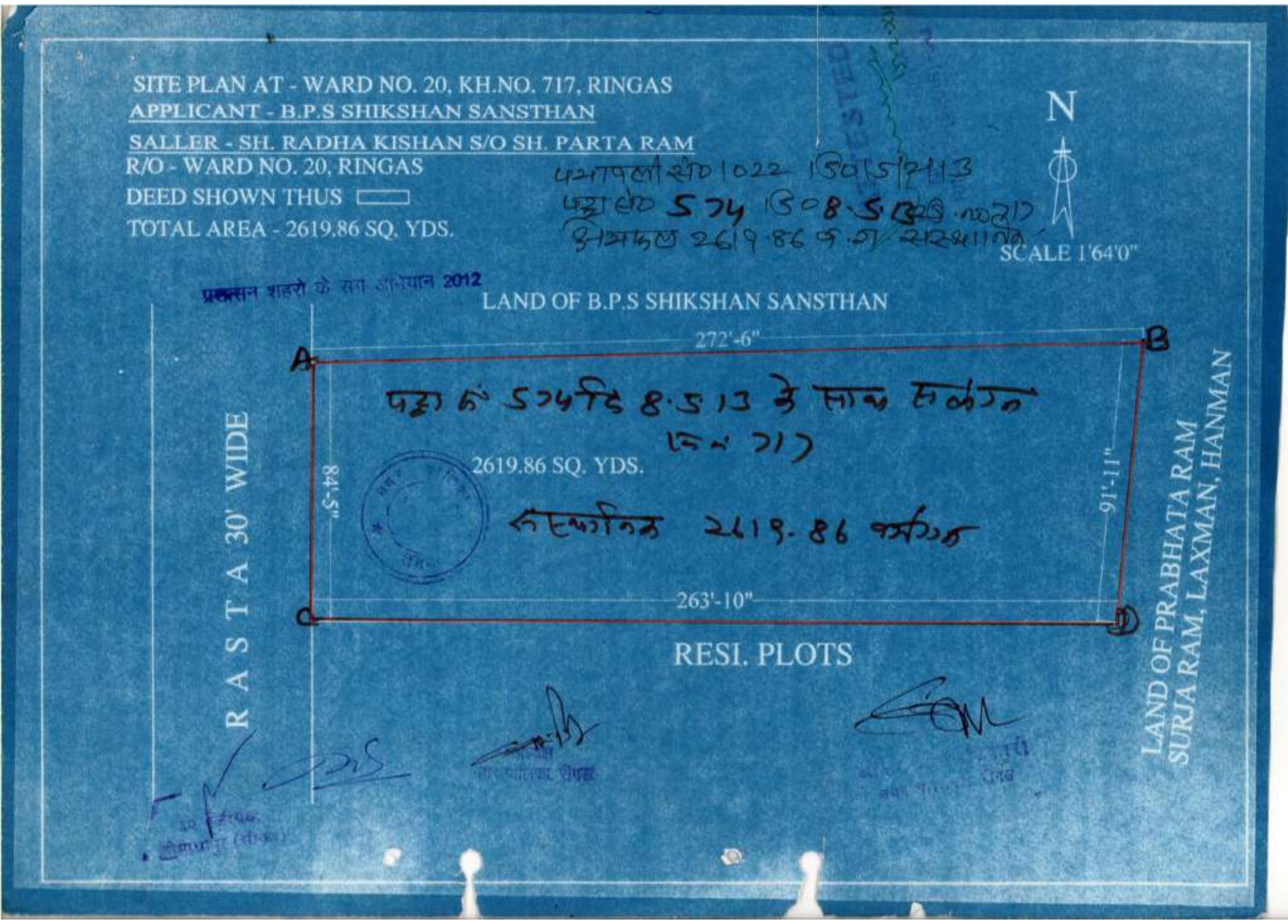
SITE PLAN AT - WARD NO. 20, KH.NO. 717, RINGAS
APPLICANT - B.P.S SHIKSHAN SANSTHAN
SALLER - SH. RADHA KISHAN S/O SH. PARTA RAM
R/O - WARD NO. 20, RINGAS
DEED SHOWN THUS
TOTAL AREA - 2619.86 SQ. YDS.
N
SCALE 1'64'0"
LAND OF B.P.S SHIKSHAN SANSTHAN
272'-6"
A
B
84'-5"
2619.86 SQ. YDS.
91'-11"
263'-10"
C
D
RESI. PLOTS
RASTA 30' WIDE
LAND OF PRABHATA RAM
SURJA RAM, LAXMAN, HANMAN